भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4252

उत्तर देने की तारीख 27 मार्च, 2023 (सोमवार)

6 चैत्र, 1945 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी)

4252. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं की घर तक पहुंच के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए इन राज्यों में ग्रामीण आजीविका विशेषकर महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं की आजीविका में सुधार करने के लिए चलाई जा रही उत्तर-पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) के कार्यान्वयन तथा निगरानी की क्या स्थिति है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार सितंबर, 2020 से पीएसबी एलायंस के तहत सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा एक साझा मंच पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में देश के 100 केंद्रों में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के तहत 15 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में जिन 100 केंद्रों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं, उनमें से 3 केंद्रों नामतः गुवाहाटी, शिलांग और अगरतला को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाओं के लिए कवर किया गया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) ने सूचित किया है कि पीएसबी अपनी चिह्नित बैंक शाखाओं और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी ताकि पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी प्रचालनात्मक देनदारियों को पूरा करने और कोविड-

19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के संदर्भ में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता मिल सके। यह स्कीम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। ईसीएलजीएस के अंतर्गत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को उनके द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100% गारंटी प्रदान की जाती है। यह स्कीम 31.3.2023 तक वैध है। पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई ईसीएलजीएस सहायता का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत बैंकों, साझा सुविधा केंद्रों, और फिन्टेक आदि के साथ समन्वय करते हुए और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करते हुए उनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक पहल की है। अब तक 4,660 महिला एसएचजी सदस्यों को बैंकों के माध्यम से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बीसी सखी/डिजीपे सखी/पेपॉइंट के रूप में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पूर्वोत्तर राज्यवार नियुक्ति निम्नानुसार हैः-

(28 फरवरी, 2023 की स्थिति)

क्र. सं.	**राज्य**	**कुल बीसी/डिजीपे/पेपॉइंट**
1	असम	2930
2	अरुणाचल प्रदेश	31
3	मणिपुर	183
4	मेघालय	625
5	मिजोरम	174
6	नागालैंड	313
7	सिक्किम	360
8	त्रिपुरा	44
	कुल	**4660**

(ख) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है जो 30.09.2019 को संपन्न हुई। इस परियोजना ने मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 11 जिलों के 58 विकास खंडों के तहत 1,645 गांवों में नौकरी पर प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया। परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

(i) इसने 10,462 लड़कों और लड़कियों को विभिन्न नौकरी कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया।

(ii) 28,154 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और 1,212 ग्राम परिसंघों के गठन के साथ-साथ 1,599 सामुदायिक विकास समूहों (सीडीजी) के गठन के माध्यम से 2,92,889 परिवारों को कवर किया गया था।

(iii) परियोजना के अंत में परियोजना के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के 97% सदस्यों के पास 60.51 करोड़ रुपए की संचयी बचत के साथ बचत बैंक खाते थे। परियोजना ने 28,154 स्वयं सहायता समूहों को 319.15 करोड़ रुपये का सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) जारी किया था। कुल 5,535 स्वयं सहायता समूहों ने 58.19 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत बैंक ऋण राशि के साथ बैंक लिंकेज का लाभ उठाया था। बैंक से प्रति एसएचजी औसत ऋण राशि 1.02 लाख रुपये थी।

*****

अनुबंध

27.03.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदत्त क्रेडिट लाइन गारंटी योजना सहायता						
	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23 (28.02.23 तक)	
राज्य	जारी की गई कुल गारंटी की संख्या	गारंटी की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई कुल गारंटी की संख्या	गारंटी की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई कुल गारंटी की संख्या	गारंटी की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)
अरुणाचल प्रदेश	2228	71.31	159	57.94	46	30.81
असम	529128	2715.09	23527	807.08	1729	278.22
मणिपुर	10259	123.06	322	12.87	31	6.19
मेघालय	11030	200.9	487	26.3	53	13.97
मिजोरम	3722	54.89	146	9.3	29	0.4
नागालैंड	7396	68.36	171	8.83	33	3
सिक्किम	8178	92.95	178	33.88	47	4.57
त्रिपुरा	60471	245.64	2178	46.75	208	3.02
कुल योग	**632412**	**3572.2**	**27168**	**1002.95**	**2176**	**340.18**

स्रोत: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

*****